प्रेस विज्ञप्ति – 31/03/2021

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जुड़ने की बढ़ी अंतिम तारीख

7 अप्रैल तक प्रदेश के निवासी परिवार मात्र रु 3091 का प्रीमियम भरकर इस योजना से जुड सकते है – डॉ. वी. के. दास

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसे पूरे देश के साथ साथ संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में वर्ष 2018 से लागू किया है। प्रदेश मे इस योजना मे तीन श्रेणियों मे लोगो को शामिल किया गया है। 1) योजना की सूची मे शामिल सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना – 2011 के तहत आनेवाले गरीब, वंचित परिवार 2) जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.5 लाख से कम है उपरोक्त श्रेणियों के लाभार्थियों को निशुल्क इस योजना का लाभ दिया जा रहा है अर्थात उनकी प्रीमियम राशि संघ प्रदेश प्रशासन दे रहा है. 3) जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.5 लाख से ज्यादा है वह परिवार भी मात्र रु. 3091 का वार्षिक प्रीमियम स्वयं भरकर इस योजना से जुड सकते है।

इस संदर्भ मे अधिक जानकारी देते हुए डॉ. वी. के. दास, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव ने बताया की संघ प्रदेश में यह योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र मे प्रदेशवासियों के लिये संजीवनी की तरह साबित हो रही है | अभी तक संघ प्रदेश में 61 हजार से अधिक मरीजो ने अपना इलाज इस योजना के माध्यम से मुफ्त में कराया है| दादरा नगर हवेली जिले मे श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल, सिलवासा एवं उप जिला अस्पताल खानवेल, दमन जिले मे सरकारी अस्पताल मारवाड एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोटी दमन, दीव जिले मे सरकारी अस्पताल दीव मे इस योजना का पंजीकरण एवं रिन्यूवल किया जा रहा है | ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.5 लाख से ज्यादा है वह भी मात्र रु. 3091 का वार्षिक प्रीमियम भरकर इस योजना मे जुड सकने है। प्रदेश मे इस योजना से जुडने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 से बढा कर अब 7 अप्रैल 2021 कर दी गयी है| प्रदेश के सभी नागरिकों से अनुरोध किया है की इस योजना से जुड कर अपनी एवं अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस योजन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करे।

(डॉ. वी. के. दास)
निदेशक,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव